भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 961
07 दिसम्बर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीजीएचएस के अंतर्गत आयुष औषधालयों में दवाओं की कमी

961. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सीजीएचएस के आयुष औषधालयों में नियमित रूप से दी जाने वाली दवाइयों की काफी कमी हो गई है क्योंकि उत्पादन इकाइयां नाना प्रकार की संसाधन संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रही हैं;
(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इन कठिनाइयों का हल निकालने के लिए क्या योजना बनाई जा रही है ताकि जो दवाइयां आमतौर पर रोगियों को दी जाती हैं वे समुचित रूप से मिल सकें;
(ग) इन औषधालयों में इंडेंट की गई दवाइयों को ऐलोपैथी औषधालयों की तरह अगले ही दिन दिए जाने के विपरीत 15 से 20 दिनों के बाद दिए जाने के क्या कारण हैं; और
(घ) क्या सरकार इस विसंगति को समाप्त करने के लिए कोई उपाय करेगी?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): सीजीएचएस के तहत आयुष औषधालयों/ इकाइयों में फार्मूलरी दवाइयों की कोई बड़ी कमी नहीं है। आयुष औषधालयों/ इकाइयों में दवाइयों की आपूर्ति के लिए प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों (एएलसी) की नियुक्ति के लिए बार-बार निविदा प्रक्रिया चलाने पर भी कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, आयुष औषधालयों/ इकाइयों में लिखी गई दवाइयां उपलब्ध न होने पर लाभार्थियों के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:

1. वे आयुष औषधालयों/ इकाइयों से प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों के माध्यम से इंडेंट की गई दवाइयां संबंधित औषधालय/ इकाई में उनकी आपूर्ति पहुंचने पर प्राप्त कर सकते हैं।
2. वे लिखी गई दवाइयां खुले बाजार से खरीद सकते हैं और उसकी प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं।

*****